□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
□□□ □□□
□तारांकित प्रश्न □ख□□: 3253
12 □□□□, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
□□क□□ं □□ □□□□

3253. श्र□ प्र□□ □□□ि□
श्र□ □□□□ □□□
श्री भतृर्हरि महताबः
श्र□ □□□□□ □□□□ □□□□□□
श्र□ □य□□ □□त□□ □□□□□
श्र□ □□हु□ □□□□ □□□□
□□ □□□□ □□□□□□□
श्र□ □□□ □□□ □□□□□□
श्र□ □□□□द्□□ □□□□□
श्र□ □□□□ □□□□श्व□ □□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह □□□□□□ो □□□ □□□□ि□□

(क) पश्चिम बंगाल म हाल को □□□□ओं सहित देश भर के विभिन्न सरकारी अस्पतालों म □□क□□ं □□ □स□□□□ □□□□□□ि□□ं □□ □□□□को घटनाय सामने आई ह;

(□) □ि□ □□,□□ □□ □□□ □□ं □□□□□□ अस्पताल और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-□□□ □□□□ किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(□) क□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ (आईएमए) ने अपने सभी राज्यों के सदस्यों को □□□□□ प्र□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ ि□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□ओं □□ बंद कर देने के कारण मरीजों को □□□ हु□ □□□□ □ि□ □□,□□ □त□□□□ ब□□□□ क□□ □;

(□) क□□ □□□□□ □□□क□□ं □□ □□□□□□□द्देसहित विभिन्न मुद्दों को समीक्षा करने के लिए मंत्रालय म गठित □□-मंत्रालयी समिति को सिफारिशों को लागू किया है और यदि हां, □□ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(□) क□□ □□क्टरों/स्वास्थ्य पेशेवरों को सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट कानून को तत्काल □□श□□□□ □;□□

(□) □ि□ □□,तो सरकार द्वारा इस संबंध म क□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □/□□□□ □□ □□□?

□त्त□

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(□) □□ (□): □□ □□,□□□ □□□□□□न□ □□□ं □ ड्यू□ □□ □□□□ □□क□□ं □□ □□□□□□□ □□□□ ि□□ □□□□□□ कारण डॉक्टरों द्वारा हड़ताल करने को घटनाएं सरकार के ध्यान म आई ह।

□□□□□□□ प्र□□□□□ों □□□□□□□, ‘स□□स्थ्य’ □□ ‘□□□□ □□ व□□स□□’ □□ज□ □□ □□□□ □□ □□□□□, □□□□□ □□ज□ / □□ □□ज□ क्षेत्र □ □□□□□□□क□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□ओं □ो □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ज□/□□ □□ज□ क्षेत्र को करने होते ह। ऐसे मामलों के विवरण कद्रीय रूप म नहीं रखे जाते ह।

(□): □□□□□ □प्र□म □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □सांकेतिक विरोध के रूप म दिनांक 17 जून, 2019 को प्रातः 6 बजे से लेकर अगले दिन प्रातः छः बजे तक अति महत्वपूण सेवाओ को वापस लेने को अपील को थी। □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□प्र□□□□ □□ों

(□) □□(□): ड्यू□ □□ □□□□ □□क्□रों म सुरक्षा को भा□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ों □□ □□□□□ □□□□□□□द्री□ स□□स्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों/□□ □□ज□ क्षेत्रों को निम्ना□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □ो □□

i. □□□□□□□ □स□तालों को सुरक्षा का प्रबंधन एक निर्धारित एवं प्रशिक्षित दल द्वारा किया जाए।

ii. □□□□ रू□ □□□□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□□ □□□-भाड़ वाले क्षेत्रों म प्रभावी संचार / सुरक्षा □□□□□ों □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ों □ण□त□□□□ □□□ □□ों □□ □□□□□

iii. □□□□□□□ □□ त्□रित काय के लिए उपकरणों से सज्जित कद्रीय नियंत्रण कक्ष।

iv. □□□□□□ व्□क्तियों के लिए प्रवेश निषेध।

v. हमलावरों के विरुद्ध सांस्था□□□ □□□□□□□

vi. प्रत्ये□ □स□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□क्□रों के बचाव वाले कानूनों का प्रदशन।

vii. □□□□□□ लापरवाही को निगरानी करने के लिए नोडल अधिकारी को नियुक्ति।

viii. □□क्□ों □□ □त्□धिक भार / दबाव को रोकने और वैश्विक डॉक्ट□ – □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □स□तालों / प्राथमिक स्वास्थ्य कद्रों म डॉक्ट□ों □□ □□□-□□□□□□ कमचारियों के विभिन्न □□ों पर शीघ्र भर्ती करना।

ix. कैरियर को बेहतर संभावना वाले बड़े एवं मेट्रो शहरों को तुलना म दुगम / दूरवर्ती क्षेत्रों म सेवारत □□क्□ों □□ □□□-□□□□□□ कमचारियों के लिए बेहतर अवसंरचनात्म□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□क□ आर्थिक प्रोत्सा□□ □□□□ □प्र□□□□□

नैदानिक प्रतिष्ठा□ों □□ ड्यू□ □□ □□□□ □□□टरों पर हमलों को रोकथाम के लिए एक समान कानूनी ढांचे □□□□□□न□ □□□ओं □ो □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□

*****